

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 381/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. ओम प्रकाश पुत्र नोरंग दास जाति स्वामी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र नोरंग दास जाति स्वामी निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादीगण
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 28.07.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री अनिल सिहाग वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक नम्बर 16 एन.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 9/20 के पत्थर नम्बर 134/56 (21) किला नम्बर 16/1, 16/2. 17 ता 24, 25/1, 25/2 व पत्थर नम्बर 134/64 (20) किला नम्बर 11 ता 25 व पत्थर नम्बर 135/57 (26) किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 इस प्रकार कुल 7.6530 है. भूमि में दर्ज वादी ओमप्रकाश के पिता के गलत नाम कम संख्या 1 पर औमप्रकाश पुत्र नौरंगराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र नोरंग दास तथा वादी मनीराम का नाम क्रम संख्या 4 पर मनीराम पुत्र नौरंगराम के स्थान पर मनीराम पुत्र नोरंग दास व वादीगण के डबल डबल नाम व हिस्सा को दूरुस्त कर सही नाम व हिस्सा दूरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.07.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
हनुमानगढ़

